निदेशालय,राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक एफ नवीन वर्जन 3.0 पार्ट–I (383)/बीमा/व्य0एवंप0/2021–22/ 1403-57 दिनांकः 23-09-2025

संयुक्त/उप/सहायक निदेशक,
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
समस्त जिला कार्यालय।

विषयः– बकाया बीमा पॉलिसी जारी करने के संबंध में।
सन्दर्भः–बीमा अनुभाग मुख्यालय के पूर्व परिपत्र क्रमांक 276–325 दिनांक 29.06.2022, 810–860 दिनांक 12.09.2023 एवं 394–443 दिनांक 21.10.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा नियम, 1998 एवं राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के प्रावधान अनुसार राज्य बीमा पॉलिसी प्रीमियम प्राप्ति के **60 दिवस** में जारी किया जाना आवश्यक है। राज्य बीमा की बकाया पॉलिसियॉ जारी करने हेतु समय–समय पर पत्र/दूरभाष/विभागीय समीक्षा बैठक/वीसी के माध्यम से समस्त जिला एवं संभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया जाता रहा है। एसआईपीएफ पोर्टल 3.0 पर दिनांक 01.04.2025 एवं इससे पूर्व की समस्त बकाया राज्य बीमा पॉलिसियों को जारी करने हेतु निम्नानुसार निर्देशित किया जाता हैः–

1. **ऐसे प्रकरण जिनमे मार्च माह की बकाया प्रथम प्रीमियम राशि माह अप्रैल की प्रीमियम के साथ एरियर के रूप मे प्राप्त हो गयी है**

ऐसे प्रकरणों जिनमें मार्च माह की बकाया प्रथम प्रीमियम राशि माह अप्रैल की प्रीमियम के साथ एरियर के रूप में प्राप्त हो रही है उस प्रकरण मे पॉलिसी जारी करने से पूर्व प्रकरण की सम्पूर्ण तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार कर संभागीय अतिरिक्त निदेशक को प्रेषित करें। संभागीय अतिरिक्त निदेशक प्रकरण की जॉच कर अपने अभिमत एवं टिप्पणी सहित प्रकरण वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक बीमा को स्वीकृति प्रदान करने के लिए प्रेषित करेगें। ऐसे प्रकरणों मे मुख्यालय से सक्षत स्तर से स्वीकृति जारी होने के पश्चात् ही नियमानुसार पॉलिसी जारी की जावेगी।

2. **ऐसे प्रकरण जिनमे मार्च माह की बकाया प्रथम प्रीमियम राशि अप्राप्त है एवं अप्रैल माह से निरन्तर प्रीमियम प्राप्त हो रही है।**

ऐसे प्रकरणों मे जिनमे मार्च माह की प्रथम प्रीमियम राशि अप्राप्त है एवं अप्रैल माह से निरन्तर प्रीमियम प्राप्त हो रहा है उस प्रकरण मे मार्च माह की प्रीमियम राशि चालान से बीमा मद मे जमा करवाकर पॉलिसी पॉलिसी जारी करने से पूर्व प्रकरण की सम्पूर्ण तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार कर संभागीय अतिरिक्त निदेशक को प्रेषित करें। संभागीय अतिरिक्त निदेशक प्रकरण की जॉच

Signature valid

Digitally signed by Shishir Kumar Chaturvedi
Designation : Senior Additional Director
Date: 2025.09.23 15:50:12 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 17415201

कर अपने अभिमत एवं टिप्पणी सहित प्रकरण वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक बीमा को स्वीकृति प्रदान करने के लिए प्रेषित करेगें। ऐसे प्रकरणों मे मुख्यालय से सक्षत स्तर से स्वीकृति जारी होने के पश्चात् ही नियमानुसार पॉलिसी जारी की जावेगी।

3. **3.0 पर प्रथम घोषणा पत्र में प्रीमियम राशि कम अंकित है, जबकि वास्तव में प्रीमियम राशि अधिक प्राप्त हो रही है अथवा 3.0 पर प्रथम घोषणा पत्र में प्रीमियम राशि अधिक अंकित है और वास्तव में प्रीमियम कम प्राप्त हो रही है**

4. **3.0 पर प्रथम घोषणा पत्र मे प्रथम जोखिम दिनांक गलत अंकित है**

ऐसे प्रकरणों में कार्मिक के मूल वेतन अनुसार सामान्य दर, एक अथवा दो स्लैब अधिक प्रीमियम की कटौती का संशोधित घोषणा पत्र कार्मिक के स्वयं के लॉगिन सें आधार ओटीपी से वेरीफाई/सबमिट करवाया जाकर नियमानुसार राज्य बीमा पॉलिसी जारी की जावें। प्रथम जोखिम दिनांक का गलत अंकन होने पर भी नियमानुसार कार्मिक के स्वयं के लॉगिन से संशोधित घोषणा–पत्र आधार ओटीपी से वेरीफाई/सबमिट करवाया जाकर नियमानुसार राज्य बीमा पॉलिसी जारी की जावें।

5. **3.0 पर प्रथम घोषणा पत्र मे कार्मिक द्वारा गलती से प्रतिबंधित 5 बीमारियों मे से किसी बीमारी का चयन हो गया हो**

यदि किसी कार्मिक द्वारा गलती से कोई प्रतिबंधित बीमारी का चयन कर दिया हो तो कार्मिक के स्वयं के लॉगिन मे First/Further Declatration मे First Declaration को Edit Mode लॉगिन मे खोलते हुए बीमारी मे "NO" सलेक्ट कर कार्मिक के आधार ओटीपी से वेरीफाई करवाया जावेंगा। इसके साथ ही संबंधित कार्मिक से बीमारी संबंधी सूचना गलती से अथवा तकनीकी एरर (Technical error) के कारण सबमिट करने का तथा किसी तरह की प्रतिबंधित बीमारी से ग्रसित नही होने का स्पष्टीकरण प्राप्त कर, इसके पश्चात् जिला अधिकारी प्रीमियम आदि का मिलान करने के पश्चात् मैनूअल अप्रूवल कर राज्य बीमा पॉलिसी जारी करेगें। कार्मिक से प्रतिबन्धित 05 बीमारियों से ग्रसित नही होने का "शपथ–पत्र" प्राप्त कर उसके एम्पलाई आई. डी. के माध्यम से ई–बैग में अपलोड किया जायेगा। शपथ पत्र में कार्मिक द्वारा गलत तथ्य प्रस्तुत करने पर राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा नियम 1998 के नियम 30 के अनुसार तात्विक सूचना छिपाई जाने पर बीमा अकृत और शून्य माना जायेगा और उसके अधीन संदत्त समस्त प्रीमियम निधि में सम्पहृत हो जायेगी।

यदि कार्मिक वास्तव मे राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा नियम 1998 के नियम 8 (3) मे उल्लेखित 5 बीमारियों मे से ग्रसित है तो उन कार्मिकों को नियमों मे उपलब्ध प्रावधान के अनुसार राज्य बीमा पॉलिसी जारी नही की जावे।

6. **यदि कार्मिक का स्थायीकरण आदेश जारी नही हुआ है और उसके द्वारा प्रथम घोषणा पत्र 3.0 पोर्टल पर सबमिट कर दिया गया है अथवा कार्मिक पर राज्य बीमा योजना लागू नही है अथवा कार्मिक को पूर्व मे पॉलिसी संख्या आवंटित है और उसके द्वारा प्रथम घोषणा पत्र पोर्टल पर सबमिट कर दिया गया है।**

Signature valid

Digitally signed by Shishir Kumar Chaturvedi
Designation : Senior Additional Director
Date: 2025.09.23 15:50:12 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 17415201

ऐसे प्रकरणों की जिला अधिकारी सघन जॉच कर यह सुनिश्चित करावे कि वास्तव मे कार्मिक द्वारा प्रथम घोषणा पत्र गलत सबमिट कर दिया गया है तो उसकी सूची तैयार कर संभागीय अतिरिक्त निदेशक का अभिमत एवं टिप्पणी सहित वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक/अतिरिक्त निदेशक, सिस्टम, मुख्यालय को भिजवाते हुये उन्हे रिजेक्ट/डिलिट करने की कार्यवाही करावे।

बीमा पॉलिसी के अभाव मे किसी कार्मिक की मृत्यु हो जाने पर राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा नियम, 1998 के नियम 14 (1) मे शिथिलता हेतु प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाये जाते है। शिथिलता के ऐसे ही प्रकरण मे राज्य सरकार द्वारा राज्य बीमा पॉलिसी समय पर जारी नहीं होने पर संबंधित जिला अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारण करने हेतु निर्देशित किया गया है। अतः समस्त बकाया पॉलिसियों को नियमानुसार तत्काल जारी किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

दिनांक 01.04.2025 एवं इससे पूर्व के वर्षो की समस्त बकाया राज्य बीमा पॉलिसियॉ एसआईपीएफ के नवीनवर्जन 3.0 से ही जारी की जावेगी। समस्त जिला अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेगें कि कर्मचारी की एम्पलाई आईडी में कार्मिक के सही पॉलिसी संख्या टेग की गई है। पोर्टल 3.0 पर ओटो जनरेटेड पॉलिसी में किसी तरह की तकनीकी समस्या उत्पन्न होने पर तत्काल उसका समाधान वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक (सिस्टम)/अतिरिक्त निदेशक (सिस्टम) से दूरभाष/ई–मेल आदि से करवाया जाकर पॉलिसी जारी किया जाना सुनिश्चित करावें। सिस्टम अनुभाग से जारी ऑटो बीमा पॉलिसियों की जॉच करावें, तथा जारी की गई बीमा पॉलिसी मे किसी भी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर बीमा अनुभाग, मुख्यालय को सूचित किया जावे।

राज्य बीमा पॉलिसी समय पर जारी नहीं होने पर संबंधित जिला अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारण किया जायेगा। संभागीय अतिरिक्त निदेशक उपरोक्तानुसार कार्यवाही अपने अधीनस्थ जिला अधिकारियों से कराया जाना सुनिश्चित करावे।

भवदीय,

क्रमांक एफ नवीन वर्जन 3.0 पार्ट–I (383)/बीमा/व्य0एवंप0/2021–22/ 1403-57 दिनांकः 23-09-2025

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदया, मुख्यालय, जयपुर।
2. वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक/अतिरिक्त निदेशक, सिस्टम, मुख्यालय, जयपुर को विभागीय बेवसाईड पर अपलोड हेतु ।
3. अतिरिक्त निदेशक, समस्त संभागीय कार्यालय को उपरोक्तानुसार कार्यवाही अपने अधीनस्थ जिला कार्यालयों से कराया जाना सुनिश्चित करने हेतु।

Signature valid

Digitally signed by Shishir Kumar Chaturvedi
Designation : Senior Additional Director
Date: 2025.09.23 15:50:12 IST
Reason: Approved